दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2

≬ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ≬ मुंगलवार, 07 मई, 1996 / बैशाख 17, 1913 ११का० १

संख्या : 256

जनता दल § बिधूड़ी § का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय

जनता दल १ बिधुड़ी १ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय के मामलें में माननोय अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश निम्न प्रकार है :-

11

आदेश

जबिक सर्वश्री रामवोर सिंह बिधुड़ो, परवेज़ हामामी और मतीन अहमद ने, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान तथा में मूलरूप से जनता दल के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, "जनता दल विधायी दल" में विभाजन के परिणाम-स्वरूप विधान सभा में "जनता दल १ बिधुड़ो १ के नाम से एक अलग समूह का गठन कर लिया है, और

जबकि इस समूह के सर्वश्री रामवोर सिंह विधूड़ो, परवेज़ हामामी और मतीन अहमद सहित इस समूह से सम्बन्धित सदस्यों को उपर्युक्त सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दो गई संसूचना को प्राप्ति के अनुसरण में दिनांक 2 अप्रैल, 1996 को दिये गए मेरे आदेश के जरिये "जनता दल १ विधुड़ी १ सम्बन्धित सदस्य के रूप में मान्यता दे दों गई थो, और

जबकि अब जनता दल १ विधूड़ी १ तमूह से तम्बन्धित सदस्यों ने मुझे अपने पत्र दिनांक 17.04.96 के जरिये तिखित रूप से यह सूचना दे दी है कि उन्होंने इस तमूह को श्री पो.वो. नरतिम्हा राव के नेतृत्व मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के साथ विलय कर देने का निर्णय लिया है और अनुरोध किया है कि उन्हें कांग्रेस दल के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान को जाए, और

जबिक विधायों दल कांग्रेस के नेता भी जग प्रवेश चन्द्र ने दिनांक 18 अप्रैल, 1996 के हमारे पन्न संख्या एफ 19 § 20 § / 96/एल ए एस / 17345 के उत्तर में इस बात को पुष्ट्रिट को है कि सर्वभी रामवीर सिंह बिधुड़ी, परवेज़ हाशमी और मतीन अहमद को राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है और उन्हें कांग्रेस दल से सम्बन्धित सदस्य माना जाए, और

इसलिए अब मैं चरतो लाल गोयल, अध्यक्ष, दिल्लो विधान सभा, मामलें की सावधानोपूर्वक जाँच करने के बाद और भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत, मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्दारा यह घोषित करता हूँ कि अब से सर्वध्री रामवीर सिंह बिधूड़ो, परवेज़ हाशमी और पतीन अहमद को, उनके अनुरोध पर, तुरन्त प्रभाव से कांग्रेस विधायी दल का सदस्य माना जाए।

ह 0/-चरती लाल फोयल अध्यक्ष, दिल्लो विधान सभा " पै. एन. गुप्ता

दिल्ली

DELHI LEGISIA TIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative and other matters)
Tuesday, May 07, 1996/ Baisakh 17, 1918 (Saka)

No. 256

MERGE (OF JANATA DAL (BIDHURI) WITH INDIAN NATIONAL CONGRESS

The orders passed by Hon'ble Speaker in the matter of merger of Janata Dal(Bidhuri) with Indian National Congress is reproduced below :-

ORDER

WHEREAS S/Shri Ramvir Singh Bidhuri, Parvez Hashmi and Matin Ahmed, originally elected on Janata Dal ticket to the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, constituted a separate group within the Legislative Assembly by the name of "Janata Dal (Bidhuri)" as a result of the split in the Janata Dal Legislature Party; and

WHEREAS the members belonging to this group consisting of S/Shri Ramvir Singh Bidhuri, Parvez Hashmi and Matin Ahmed were treated as members belonging to "Janata Dal (Bidhuri)" vide my order dated 2nd April, 1996 pursuant to receipt of a communication presented by the aforesaid three members, in person; and

WHEREAS the members belonging to the Janata Dal[Bidhuri] group have now informed me in writing vide their letter dated 17-4-96 that they have decided to merge the group with the Indian National Congress Party led by Shri P.V. Narasimha Rao and have requested for their recognition as part of the Congress Party; and

WHEREAS Shri Jag Parvesh Chandra, Leader of the Congress Legislature Party has affirmed in response to our letter No.F.19(2))/96/LAS/17345 dated 18th April, 1996, that S/Shri Ramvir Singh Bidhuri, Parvez Hashmi and Matin Ahmed have been admitted in the National Congress and they be treated as members belonging to the Congress Party; and

Now, therefore, after careful examination of the case and in exercise of the powers conferred upon me under the Tenth Schedule of the Constitution of India, I, Charti Lal Goel, Speaker, Delhi Vidhan Sabha, do hereby declare that S/Shri Ramvir Singh Bidhuri, Parvez Hashmi and Matin Ahmed, shall henceforth be treated as members belonging to the Congress. Legislature Party with immediate effect, as requested by them.

Sd/-(CHARTI LAL GOEL SPEAKER, DELHI VIDHAN SABHA

DELHI

Dated the 6th May, 1996.